झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार (पेसा)

Santhal paintings

नई दिल्ली - 18/11/2021

पंचायती राज विभाग और कल्याण विभाग

झारखंड सरकार

झारखंड का संदर्भ (1/4)

- झारखंड को 2000 में बिहार के तत्कालीन हिस्से से अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया था।
- झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का 26.2 प्रतिशत है।
- सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में झारखंड, एस.टी. आबादी और राज्य की कुल आबादी में एस.टी. आबादी के प्रतिशत हिस्से के संदर्भ में क्रमश: 6टे और 10वें स्थान पर है।
- 32 विभिन्न जनजातियों के आदिवासी लोगों की सर्वाधिक आबादी है, जिनमें आठ विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) शामिल हैं। संख्या की दृष्टि से प्रमुख जनजातियां, संथाल (34 प्रतिशत), ओरांव (19.6 प्रतिशत), मुंडा (14.8 प्रतिशत) और हो (10.5 प्रतिशत) प्रमुख जनजातियों में से हैं।

झारखंड का संदर्भ (2/4)

झारखंड निम्नलिखित एस.टी. एवं पी.वी.टी.जी. समूहों का घर है

क्र.सं.	जनजातियां
1	असुर (पीवीटीजी)
2	बैगा
3	बंजारा
4	बथुडी
5	बेदिया
6	बिंझिया
7	बिरहोर (पीवीटीजी)
8	बिरजिया (पीवीटीजी)
9	चेरो
10	चिक बड़ाइक
11	गोंड
12	गोरैत
13	हो
14	करमाली
15	खारिया, ढेलकी खारिया, हिल खारिया, दूध खारिया
16	कंवर

क्र.सं.	जनजातियां
17	खरवार
18	खोंड
19	किसान, नगेसिया
20	कोरा, मुडी कोरा
21	कोरवा (पीवीटीजी)
22	लोहरा
23	महली
24	माल पहाड़िया (पीवीटीजी)
25	मुंडा
26	उरांव
27	पहाड़िया (पीवीटीजी)
28	संथाल
29	सौरिया पहाड़िया (पीवीटीजी)
30	सावर (पीवीटीजी)
31	भूमिज
32	कोल

संथाल जनजाति

मुंडा जनजाति

झारखंड का संदर्भ (4/4)

जनसंख्या विवरण

संकेत	झारखंड जनगणना)2011)	भारत जनगणना)2011)
कुल अनुसूचित जनजाति आबादी	86.45 लाख	10.45 करोड़
कुल पीवीटीजी आबादी	292359	10709967
अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात	1003	989
अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर	57.13%	58.96%
अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर में लिंग अंतराल	21.97	19.18

- **13 जिले** और 2 जिलों के **4** ब्लॉकों को अनुसूचित क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया गया है जिनकी आबादी 155.15 लाख और आबादी का अनुपात **44.25%** है।

- **50%** से अधिक एस.टी. आबादी वाले **12164** ग्राम हैं।

झारखंड का संदर्भ (3/4)

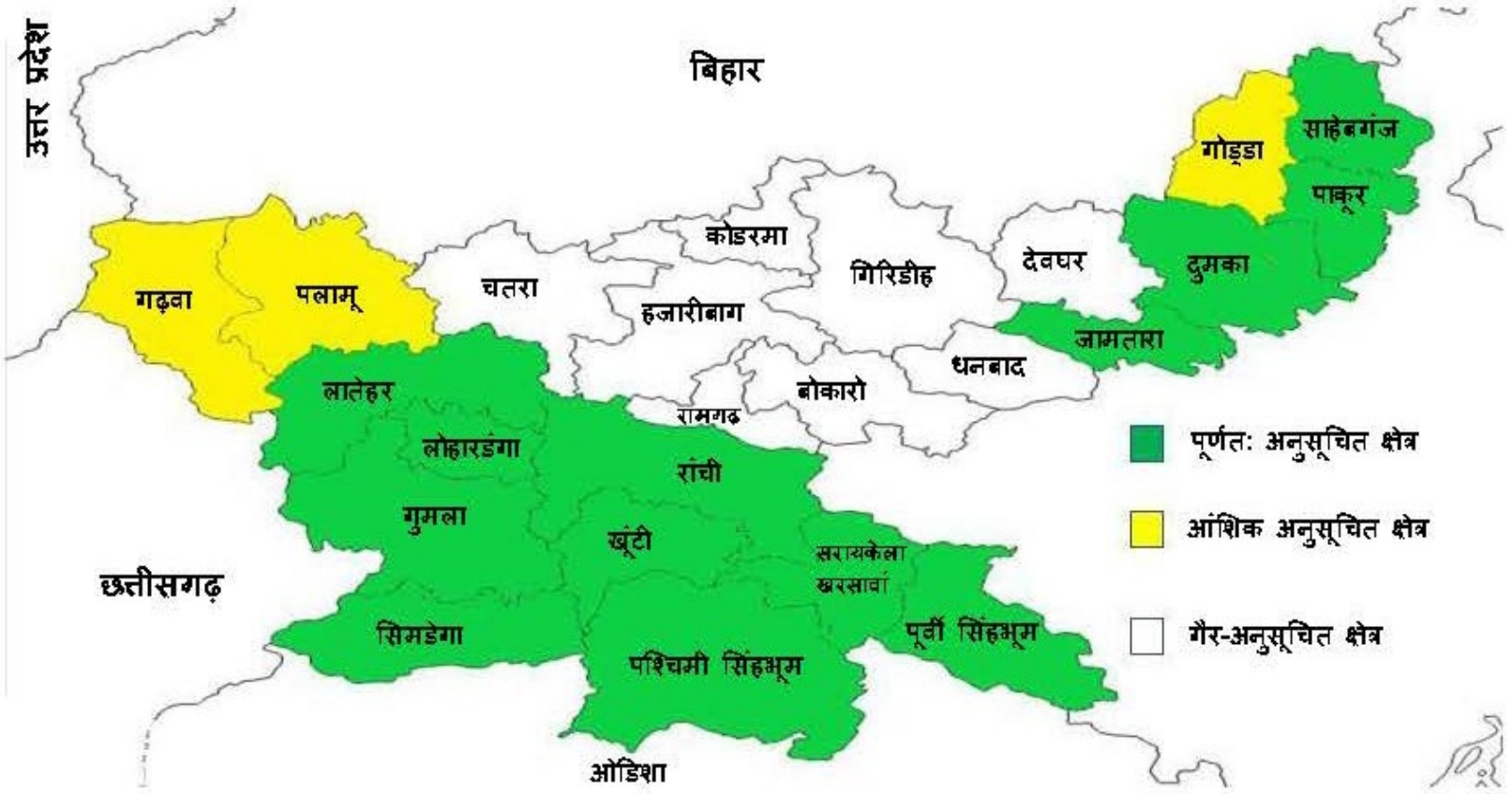

राज्य प्रोफाइल		
1.	जिले	24
2.	कुल ब्लॉक	263
3.	कुल ग्राम पंचायत	4351

अनुसूची (V) क्षेत्र		
1.	जिले	16
2.	ब्लॉक	135
3.	ग्राम पंचायत	2066
4.	ग्राम सभा	16028

झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र : पूर्णत: एवं आंशिक

क्रम. सं.	जिले	# ब्लॉक	# पंचायत	# ग्राम सभा
1	रांची	18	305	1301
2	खूंटी	06	86	757
3	गुमला	12	159	944
4	लोहारदगा	07	66	352
5	सिमडेगा	10	94	453
6	पश्चिमी सिंहभूम	18	217	1639
7	पूर्वी सिंहभूम	11	231	1595
8	सरायकेला खरसावां	09	132	1146
9	दुमका	10	206	3062
10	जामतारा	06	118	1074
11	पकूर	06	128	1032
12	लातेहार	09	115	745
13	साहेबगंज	09	162	1329
14	गडवा (आंशिक)	02	10	72
15	गोड्डा (आंशिक)	02	35	515
16	पलामु (आंशिक)	00	2	12
कुल		135	2066	16028

झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षण

क्र. सं.	पद	कुल	एस.टी. के लिए आरक्षित	प्रतिशतता (%)
1	जिला परिषद सदस्य	536	178	33
2	पंचायत समिति सदस्य	5341	1773	33
3	मुखिया	4351	2272	52
4	ग्राम पंचायत सदस्य	53479	17060	32
कुल :-		**63707**	**21283**	**33**

अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति (पूर्णत: शामिल) - ग्राम पंचायत					
क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायतों की सं.	ग्राम सभा सदस्यों की कुल सं.	एस.टी. के लिए आरक्षित पद	प्रतिशतता
1	लातेहर	115	1396	810	58
2	साहेबगंज	162	2023	1152	57
3	पाकूर	128	1704	1037	61
4	दुमका	206	2518	1462	58
5	जामतारा	118	1449	772	53
6	लोहारडंगा	66	803	500	62
7	गुमला	159	1947	1340	69
8	खूंटी	86	990	694	70
9	रांची	305	3601	2092	58
10	सिमडेगा	94	1110	770	69
11	पश्चिमी सिंहभूम	217	2791	1940	70
12	सरायकेला खरसावां	132	1656	942	57
13	पूर्वी सिंहभूम	231	2748	1590	58
कुल :-		**2019**	**24736**	**15101**	**61**

अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति (पूर्णत: शामिल) - पंचायत समिति

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लाकों की सं.	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल सं.	एस.टी. के लिए आरक्षित पद	प्रतिशतता
1	लातेहर	9	142	79	56
2	साहेबगंज	9	203	108	53
3	पाकूर	6	169	96	57
4	दुमका	10	251	136	54
5	जामतारा	6	145	75	52
6	लोहारडंगा	7	81	50	62
7	गुमला	12	192	134	70
8	खूंटी	6	100	75	75
9	रांची	18	365	201	55
10	सिमडेगा	10	111	78	70
11	पश्चिमी सिंहभूम	18	267	182	68
12	सरायकेला खरसावां	9	168	90	54
13	पूर्वी सिंहभूम	11	275	146	53
कुल :-		**131**	**2469**	**1450**	**59**

अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति (पूर्णत: शामिल) - जिला परिषद्				
क्र. सं.	जिले का नाम	जिला परिषद् के सदस्यों की कुल सं.	एस.टी. के लिए आरक्षित पद	प्रतिशतता
1	लातेहर	15	8	53
2	साहेबगंज	20	10	50
3	पाकूर	17	9	53
4	दुमका	25	13	52
5	जामतारा	14	7	50
6	लोहारडंगा	8	5	63
7	गुमला	19	13	68
8	खूंटी	10	8	80
9	रांची	36	18	50
10	सिमडेगा	11	8	73
11	पश्चिमी सिंहभूम	28	20	71
12	सरायकेला खरसावां	17	9	53
13	पूर्वी सिंहभूम	27	14	52
कुल -		**247**	**142**	**57**

झारखंड में पेसा का इतिहास

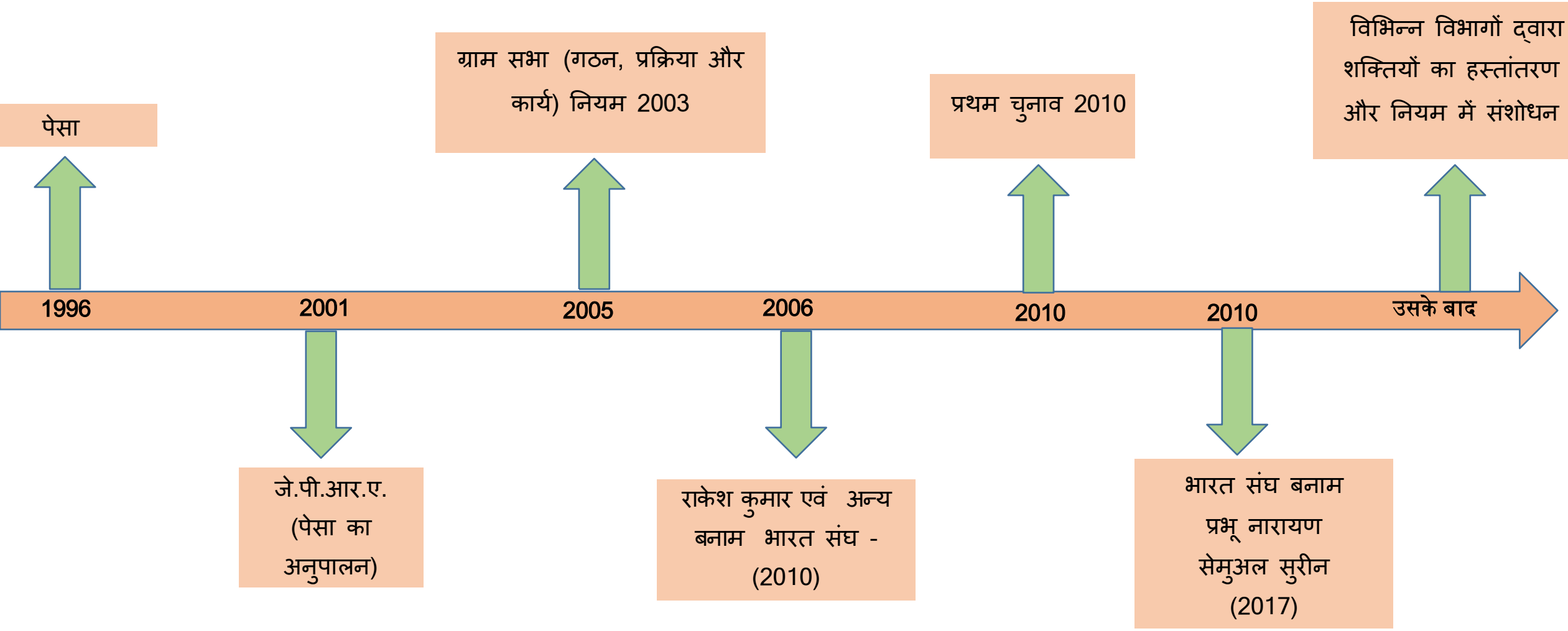

झारखंड में पेसा का इतिहास

राकेश कुमार एवं अन्य आदि बनाम भारत संघ : 2006

अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष के पद में 100% आरक्षण को चुनौती दी गई

- पेसा अधिनियम की धारा 4**(छ)** और जे.पी.आर.ए. अधिनियम 2001 की धारा 21(ख), 40(ख) और 55(ख) को संवैधानिक रुप से वैध ठहराया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि **जे.पी.आर.ए. अधिनियम 2001** की धारा 17(ख)(2), 36(ख)(2) और51(ख)(2) **संवैधानिक रुप से वैध हैं ओर पेसा अधिनियम 1996 के अनुरुप है।** शीर्ष अदालत राज्य सरकार को पंचायत चुना एएसएपी के लिए निदेश दिया।

प्रभू नारायण सैमुअल सुरीन बनाम भारत संघ : 2010

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ण) के तहत झाारखंड में पंचायत के गठन के लिए पी.आई.एल.

- शीर्ष अदालत द्वारा याचिका खारिज

राज्य द्वारा पेसा की अनुपालना - ग्राम सभा गठन एवं अन्य (1/2)

- झारखंड राज्य का गठन पेसा 1996 अधिनियमित होने के बाद हुआ।
- धारा 2(ii)(iii) 3(iii), 10.1.क, जेपीआरए अधिनियम, 2002 की धारा 10.1.क (V), 75.A.15
  पेसा,1996 धारा 4 (ख) (ग)(घ)(ड़)(i)(ii) के अनुरुप हैं।

राज्य द्वारा पेसा की अनुपालना - ग्राम सभा गठन एवं अन्य (2/2)

2003, झारखंड ग्राम सभा (गठन, बैठक एवं कार्यात्मक कारोबार) नियम - अनुसूचित क्षेत्र

- परंपरागत मुखिया की अध्यक्षता
- अनुसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक बस्तियां
- गांव की अपनी निधि, बाजार प्रबंधन एवं अन्य
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अनुमोदन

- अनुसूचित क्षेत्रों में, **नागरिक भागीदारी में काफी वृद्धि** हुई है - विशेष रुप से महिला एवं जनजातीय समुदाय में।

  मुंडा/ मानकी/ प्रधान/ मांझी/ आदि (परंपरागत ग्राम प्रमुख) **ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता** करते हैं।

- **विल्किंसन नियम 1834 :** कोल्हन क्षेत्र में; छोटे मामलों के निपटान के लिए **अधीक्षक** की नियुक्ति की जाती है। भू-राजस्व मुंडा द्वारा एकत्र किया जाता है।

- **समूचे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में एसटी** का प्रतिनिधित्व **33%** है।

- 21 **लाख** + **लाभार्थी** ग्राम सभा द्वारा चुने जा रहे हैं।

राज्य में पेसा की अनुपालना - निधि का उपयोग और सीटों का आरक्षण

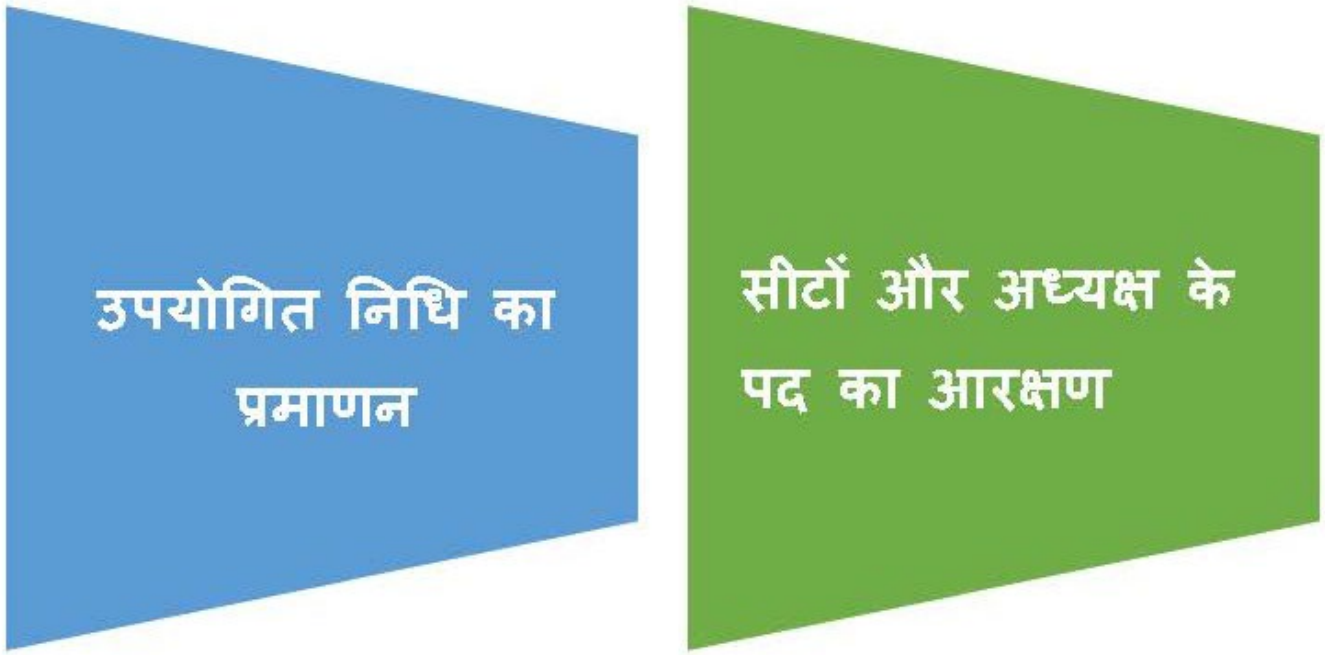

पेसा

धारा 4 च

धारा 4 छ

- जे.पी.आर.ए. अधिनियम 2001, धारा 10.5.(ii) और धारा **17 (ख), 21 (ग), 36 (ख), 40 (ख), 51(ख)** और **55 (ख)**
- अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण एस.टी. आबादी के अनुपात में, जो **50%** से कम नहीं।
- सभी अध्यक्ष के पद एसटी के लिए आरक्षित।

- ग्राम सभा द्वारा योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा।
- ग्राम सभा निर्णय लेने वाला निकाय है और ग्राम पंचायत उसे लागू करने वाली एजेंसी है।
- **21,283** सीटें एस.टी. के लिए आरक्षित हैं।

राज्य में पेसा की अनुपालना - संसाधनों पर परामर्श (1/2)

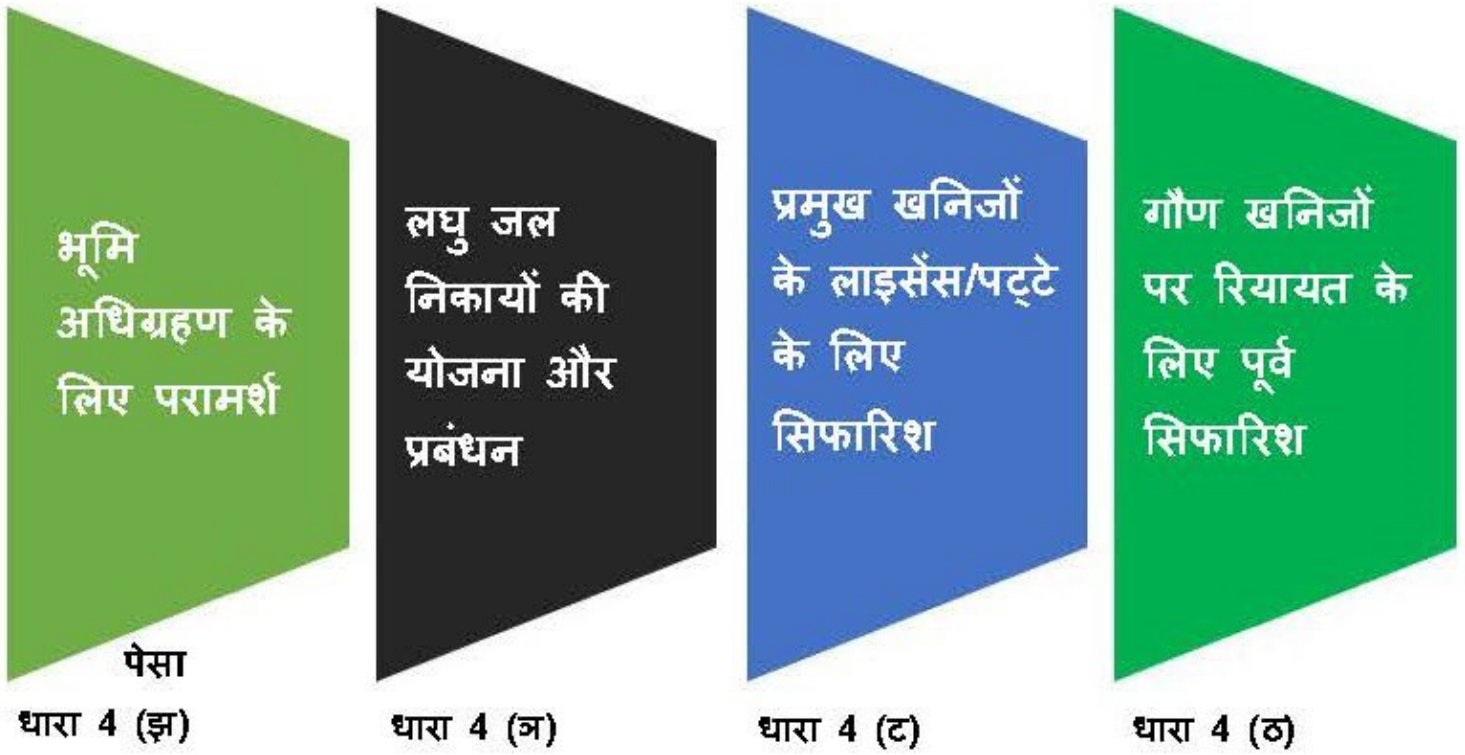

राज्य अधिनियमों/ नियमों में प्रावधान

- झारखंड खनिज रियायत नियम, 2004 (संशोधित 2014)
- जे.पी.आर.ए **2001** धारा **10(5)ii** और धारा **10 (1)** क **(xii) -** लघु जल निकायों का प्रबंधन

अगली स्लाइड .....

राज्य में पेसा की अनुपालना - संसाधनों पर परामर्श (2/2)

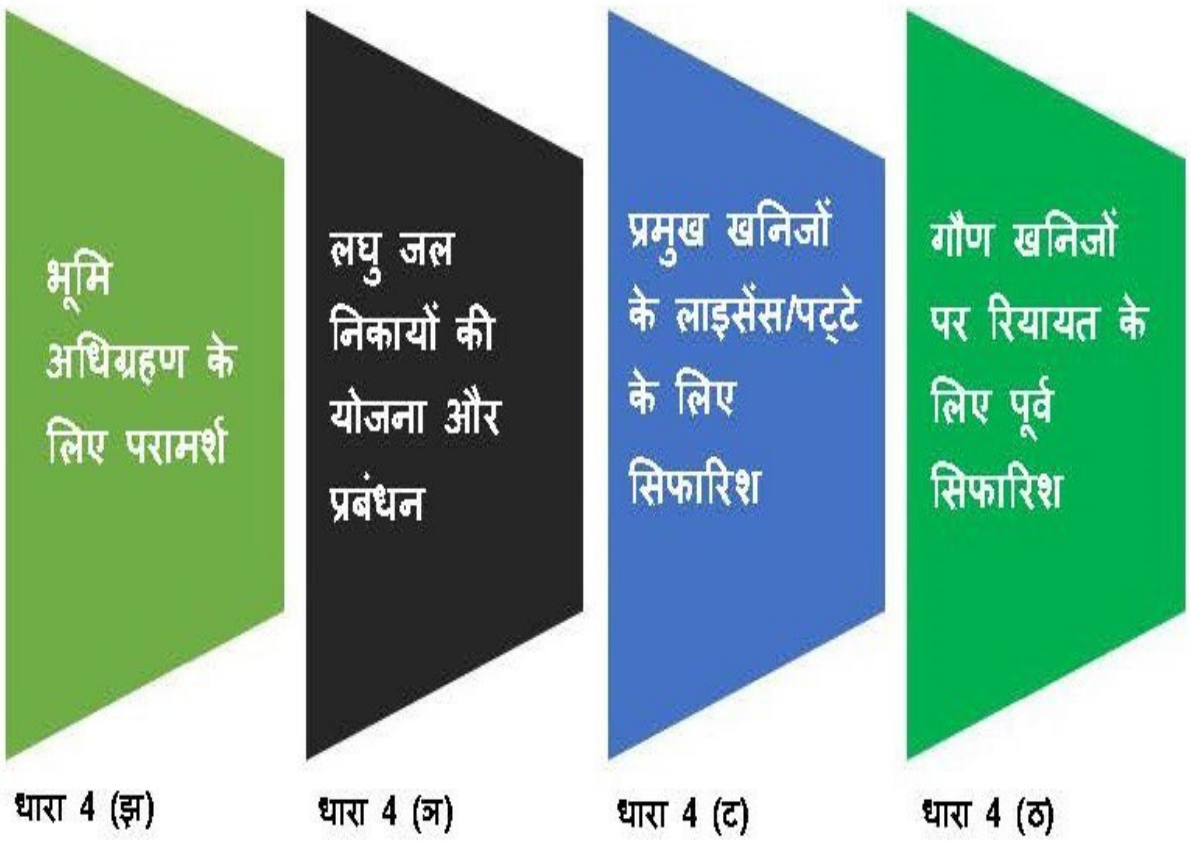

- **झारखंड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा पारदर्शिता नियमावली 2015 नियम 20** के तहत ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।
- ग्राम सभा के लिए लधु जल निकायों, सार्वजनिक कुओं एवं तालाबों के प्रबंधन के संबंध में **धारा** 10.5.ii, **धारा** 10.1.**क**.(xii) **और धारा** 10.1.**क**.(xv) **में जे.पी.आर.ए.**, 2001 **प्रावधान**
- झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली (संशोधन) 2014 के **नियम (4)** के तहत **लधु खनिजों के लाइसेंस/ पट्टे या रियायत** के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
- **झारखंड राज्य बालू खनन नीति - 2017** के तहत दिनांक 16/08/17 की अधिसूचना 1905 द्वारा श्रेणी 1 झरनों/ नदियों के लिए **करों के पर्यवेक्षण एवं संग्रहण के लिए ग्राम पंचायत/ स्थानीय स्वशासन** को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

राज्य में पेसा की अनुपालना : ग्राम सभा की शक्ति

लघु वनोपज का स्वामित्व

ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति

संस्थानों और कार्यकरणों पर नियंत्रण रखना

वन विभाग ने दिनांक 16.09.2014 की अधिसूचना सं. 4233 के तहत बिहार वनोपज (व्यापार का नियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 (4) में संशोधन किया है जिसके द्वारा लघु वन उपज को राज्य की सूची से हटा दिया गया है।

ग्राम सभा द्वारा बाजार पर नियंत्रण - भूमि और राजस्व विभाग ने दिनांक 01.04.15 का पत्रांक 12/पीआर/51/31376 जारी किया है।

जे.पी.आर.ए. की धारा **10.1.**क **(**भ**)** के तहत सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे संगठनों और ऐसे कार्यकरणों पर पर नियंत्रण रखा जाता है, जिन्हें ग्राम पंचायत को हस्तातरित किया गया है अथवा ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया है।

पेसा *1996* धारा *4 (ङ) (i-vii)*

राज्य में पेसा की अनुपालना : ग्राम सभा की शक्ति

पेसा *1996*
धारा *4 (ङ)*
(i-vii)

स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण

जेपीआरए धारा 10.5. (ii) ग्राम क्षेत्र के भीतर भूमि, जल, वन सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अपनी परंपरा के अनुसार लेकिन संविधान के उपबंधों के अनुसार और विधिवत दृष्टि से कर सकेगा।

- किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री/पर प्रतिबंध/ नियंत्रण /रोक
- अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर रोक
- धन उधारी पर नियंत्रण रखना

→ प्रक्रिया में

राज्य में पेसा की अनुपालना : प्रशासनिक व्यवस्था

धारा (ण)

राज्य विधानमंडल छठी अनुसूची- प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा ।

जे.पी.आर.ए. की अनुपालना, भारत संघ बनाम प्रभू नारायण समुअल सुरीन 2010

केस **1 :**

लोकहित याचिका संख्या 2549/2010 के द्वारा पेसा कानून, 1996 की धारा 4(o) के अन्तर्गत झारखण्ड के अनुसूचित क्षेत्र में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं करने एवं संविधान की अनुसूची (vi) के अनुरूप इन

5. As cumulative effects of the aforesaid facts, reasons and judicial pronouncements, we see no reason to give any further guidance, much less a writ of mandamus, to the State of Jharkhand to carry out the provisions of Section 4 (o) of PESA Act, 1996. All care has been taken by the State of Jharkhand while enacting the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 of PESA Act, 1996 as well as all the constitutional provisions as stated hereinabove.

6 Hence, there is no substance in this writ petition (PIL) and the same is therefore, dismissed

Sd/-
(D. N. Patel, J.)

- धारा 4 (ण) के तहत झारखंड में पंचायत के गठन के लिए पी.आई.एल.

भावी राह

राजस्व विभाग, पंजीकरण और भूमि एवं गृह विभाग की अनुपालना

विभागीय परामर्श

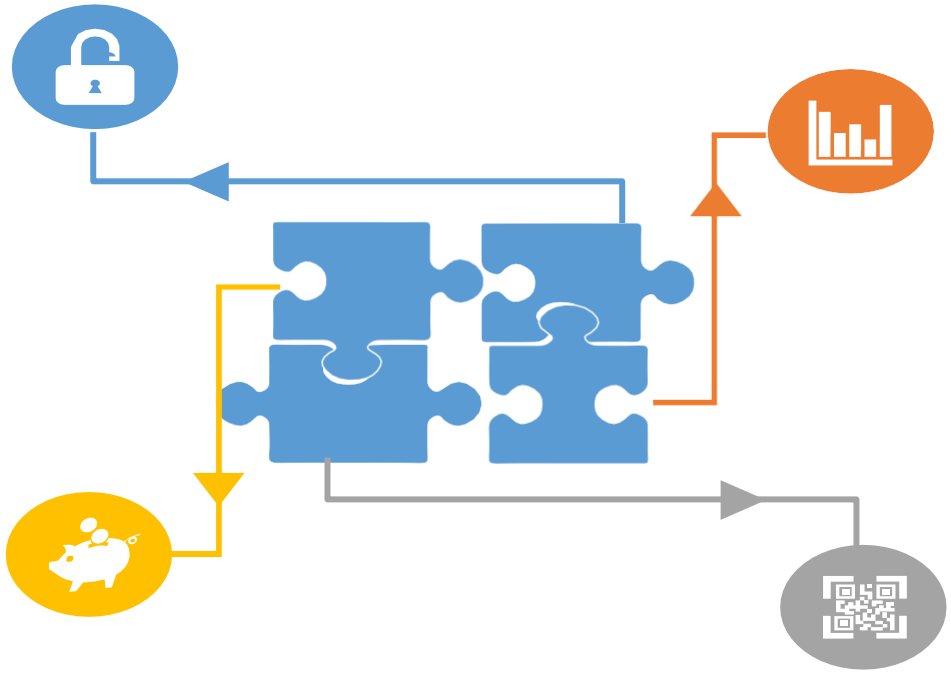

ग्राम सभा का क्षमता निर्माण

आम सहमति बनाना

भावी राह

- अन्य विभागों के साथ बैठकें की गई हैं और नियमों का मसौदा तैयार किया गया है।
- नियमों के मसौदे को अंतिम रुप देने के लिए एक समिति गठित की गई है।
- राजस्व विभाग, पंजीकरण और भूमि सुधार एवं गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन प्रस्तुत किए गए हैं। उनके सुझावों की जाच की जा रही है।
- अन्य विभागों में प्रक्रिया चल रही है ...

चुनौतियां

- जनजातीय समुदाय की रीति रिवाजों और परंपराओं को संहिताबद्ध करना और उसके बाद इसका मान्यता देना।
- हितधारकों को जागरुक करना।
- परंपरागत मुखिया का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- अंतर विभागीय समन्वयन
- फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और परंपरागत मुखिया के बीच समन्वयन।

धन्यवाद